न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 159/2022 प्रार्थनापत्र

1. प्रभु पुत्र स्व0 श्री जग्गु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता
2. मेवा पुत्र स्व0 श्री जग्गु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता
3. लादू पुत्र स्व0 श्री जग्गु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता
4. नारायण पुत्र स्व0 श्री जग्गु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता
5. दयाराम पुत्र स्व0 श्री जग्गु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता
6. देऊ पुत्री स्व0 श्री जग्गु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता
7. श्रीमती कंकू पत्नी स्व0 श्री जग्गु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) प्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 का नाम विलोपित के बजाय–

अनिल कुमार पुत्र श्री ज्ञानचन्द मेहता जाति जैन आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––– विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

एवं धारा– 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन ––अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय :: दिनांक– 19/12/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 129, 131, 136 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 219 रकबा 1.1500 हैक्टयर भूमि जो कि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। पटवार हल्का द्वारा दिनांक 21/03/2022 को नक्शा ट्रेस जारी की गयी, जिसमे भी जो आराजी रकबे अनुसार तरमीम है। ऑन लाईन नक्शे मे हुई गडबडी के कारण नक्शे मे दुरूस्ती की , जिस दौरान प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 219 रकबा 1.1500 हैक्टयर से कम तरमीम कर आराजी नम्बर 223 मिला दिया, जिसे तरमीम दुरूस्ती करा, मौके पर प्रार्थीगण के 1.1500 हैक्टयर अनुसार आराजी को तरमीम करायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है व प्रार्थीगण का भी मौके पर 1.1500 हैक्टयर भूमि पर कब्जा है व साथ ही प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 219 रकबा 1.15 हैक्टयर मे से 0.3261 हैक्टयर को बिलानाम व बिलानाम आराजी नम्बर 223 रकबा 1.35 हैक्टयर मे से 0.3261 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर विनिमय कर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करायी जाना व आराजी नम्बर 219 रकबा 1.15 हैक्टयर मे से बिलानाम रकबा 0.3261 हैक्टयर को मूल आराजी नम्बर रखा जावे व शेष रकबे को प्रार्थीगण के नाम पर बटा नम्बर मे दर्ज करने व इसी अनुसार भूमि तरमीम करने हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा जवाब पेश किया गया व मौका रिपोर्ट तलब की गयी, मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब मे ग्राम रलायता की आराजी नम्बर 219 रकबा 1.15 हैक्टयर मे से 0.3261 हैक्टयर को बिलानाम व बिलानाम आराजी नम्बर 223 रकबा 1.35 हैक्टयर मे से 0.3261 हैक्टयर प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना बताया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:38:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

दौराने प्रार्थनापत्र अनिल कुमार पुत्र श्री ज्ञानचन्द मेहता जाति जैन आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) द्वारा प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थीगण से आराजी नम्बर 219 रकबा 1.1500 हैक्टयर भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय कर लेने व मामले मे दिनांक 13/06/2022 की मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि तरमीम करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नही होने व प्रार्थीगण का नाम विलोपित कर बतौर प्रार्थी संयोजित करने व दिनांक 13/06/2022 को मौका रिपोर्ट मे पटवार हल्का द्वारा जारी नक्शा ट्रेस के विपरीत ऑनलाईन राजस्व नक्शे मे आराजी नम्बर 219, 222, 223 को तरमीम कर देने से दिनांक 13/06/2022 के मौका रिपोर्ट अनुसार व पटवार हल्का के राजस्व नक्शे अनुसार 219, 222, 223 को तरमीम करने हेतु निवेदन किया गया। अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण द्वारा भूमि विक्रय की जा चुकी है, जिनका हक अधिकार नही रहने से उनका नाम विलोपित किया जाकर अनिल कुमार मेहता को बतौर प्रार्थी संयोजित किया गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, मिलान खसरा व मौका पर्चा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कब्जे अनुसार तरमीम करने व भूमि विनिमय करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। आराजी नम्बर 219, 222, 223 जो कि पूर्व मे एक ही चक के होकर आराजी नम्बर 126 से बने है। पटवार हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि को दर्ज की जाना व भूमि विनिमय होने से राज्य सरकार के हितो पर व प्रार्थी के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा इस कारण भूमि विनिमय किया जाना व भूमि तरमीम करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 219 रकबा 1.15 हैक्टयर मे से 0.3261 हैक्टयर को बिलानाम व बिलानाम आराजी नम्बर 223 रकबा 1.35 हैक्टयर मे से 0.3261 हैक्टयर प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज की जावे व आराजी नम्बर 219 रकबा 1.15 हैक्टयर मे से बिलानाम रकबा 0.3261 हैक्टयर को मूल आराजी नम्बर रखा जावे व शेष रकबे को प्रार्थीगण के नाम पर प्रस्तावित नक्शे कब्जे अनुसार बटा नम्बर मे दर्ज की जावे व साथ ही दिनांक 13/06/2022 को मौका पर्चा के साथ तरमीम शुदा राजस्व नक्शा के अनुसार ऑनलाईन राजस्व नक्शे मे आराजी नम्बर 222 एवं 223 को तरमीम की जावे , इसी अनुसार भूमि विनिमय कर खाते मे दर्ज की जावे व मौका नक्शा अनुसार भूमि राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय आदेश व मौका पर्चा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 19.12.2022 को खुले न्यायाल[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:38:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)